स0स0 14 /एम 11–1/2024

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज
आई0डी0ए0, स्कुडर रोड
पी0 बी0 न0–3,भेल्लोर–632004

पटना, दिनाक

विषय – **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनाक **31.12.2024** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	मोहन प्रसाद गुप्ता पिता– चमरू प्रसाद गुप्ता ग्राम– पचना रोड भारत मदिर के निकट लखीसराय पो0+थाना+जिला– लखीसराय सीएमसी न0– 488836 पी	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	माया देवी पति– उमेश तिवारी ग्राम+पो0– काडी थाना– टडवा जिला– औरगाबाद सीएससी न0– एएच 27504	हृदय रोग पीटीसीए	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	उज्जवल कुमार आनद पिता– उपेंद्र कुमार ग्राम– माहो पो0– तुलसीगढ थाना– चडी जिला– नालदा सीएमसी न0– 255780 पी	किडनी रोग दवा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	राखी देवी पति– सचितानद शर्मा ग्राम– खगौर वार्ड 02 पो0+थाना– किउल जिला– लखीसराय सीएमसी न0– एजी 75261	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	मोनिका कुमारी पति–रवि कुमार ग्राम–दरियापुर गोला धोबी गली, पो0+थाना–कदमकुआ जिला–पटना सी0एम0सीन0– ए0जी0 85472	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			5,60,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,60,000/– (पॉच लाख साठ हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को ''मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष'', चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 967788 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–36889551846, खाता धारक का नाम– C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–एस0बी0आई0, शाखा का नाम–.भेल्लोर, टाउन ब्राच (1618), RTGS/IFSC कोड स0–SBIN 0001618 मे अतरित किया जाता ।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त''बिहार लोक माग वसुली अधिनियम'' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. **गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।**
5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।**
6 **चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।**
7. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 105 (14) पटना, दिनाक 20/1/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0....967788 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
20/1/25